

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ.2()लेखा/बजट-मा.भुग./आईसीडीएस/17/201-33

जयपुर, दि० 1-1-18


उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त (राजस्थान)

विषय:-मानदेय कर्मियों के मानदेय, पूरक पोषाहार एवं अन्य लम्बित दायित्वों के बिलों का भुगतान करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मानदेय कर्मियों के मानदेय का भुगतान एवं पूरक पोषाहार के बिलों का भुगतान नियमित रूप से किये जाने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते रहे हैं एवं नियमित प्रगति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने के भी निर्देश हैं। इसके उपरांत भी परियोजना कार्यालयों द्वारा नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है एवं आप द्वारा पर्यवेक्षणीय दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन भी नहीं किया जाना विभागीय निर्देशों की अवहेलना का द्योतक है। साथ ही परियोजना स्तर अन्य लम्बित दायित्वों यथा संवेतन, यात्रा भत्ता, चिकित्सा व्यय आदि का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। जबकि विभाग द्वारा अतिरिक्त बजट मांग प्राप्त होने पर अतिरिक्त बजट आवंटन किया जा रहा है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माह जनवरी 2018 में विभागीय बजट निर्णायक समिति की बैठक है। जिसमें लम्बित/नियमित भुगतान नहीं करने के कारण भुगतान सम्पूर्ण विभागीय बजट में कटौती की जा सकती है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप मानदेय कर्मियों को मानदेय भुगतान, पूरक पोषाहार एवं लम्बित दायित्वों के बकाया का अविलम्ब भुगतान कराना सुनिश्चित करते हुए, प्रगति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब अवगत करावें।


वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ
जयपुर


क्रमांक:-एफ.2()लेखा/बजट-मा.भुग./आईसीडीएस/17/234-537

जयपुर, दि० 1-1-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ, समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि विभाग द्वारा नियमित भुगतान हेतु समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए प्रगति से उपनिदेशक म.बा.वि. को अविलम्ब अवगत करावें।

✓ ACP मुख्यालय को विभागीय लेख लास्ट में अपलोड कराया।


वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ
जयपुर